संख्या: 212-59-2-2013-50(खा)/2005

प्रेषक

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग--2 लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल 2013

विषय :--वित्तीय वर्ष 2013--14 हेतु जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 05/खा0ग्रा0बो0/खादी/जनश्री/2013--14, दिनांक 03--04--2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी कामगारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित सामूहिक बीमा योजना के अर्न्तगत "जनश्री बीमा योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2013--14 के आय--व्ययक में प्राविधानित धनराशि 16,40,000.00 लाख (रूपये सोलह लाख चालीस हजार मात्र) में से धनराशि रू0 8,20,000.00 (रूपये आठ लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त धनराशि से खादी कामगारों के बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार द्वारा देय अंशदान को वहन किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय समय--समय पर निर्गत शासनदेशों में वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा। धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। बोर्ड के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त धनराशि का उपयोग मात्र "जनश्री बीमा योजना" के लिए ही किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण--पत्र वित्तीय संग्रह खण्ड-5 भाग--1 के प्रस्तर--369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद व अन्य को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. आहरण--वितरण अधिकरी द्वारा प्रस्तर--1 में स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--बी--1--640/दस--2013--231/2013 दिनांक 23--03--2013 में दिये गये निर्देशों एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता विषयक समय--समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

02
25/4/13

कार्यालय—मु०का०अ०
डायरी संख्या 47
दिनाँक 25-4-13

6. उपर्युक्त प्रस्तर—1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—आयोजनेत्तर—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम —110—अन्य बीमा योजनाएं—03—जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत खादी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—640/दस—2013—231/2013, दिनांक 28—03—2013 में की गई व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या 212(1)/59—2—2013—50(खा)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—6/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
5. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव